न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2023 राजस्व अपील

1. रामहेत पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर निवासी गढ तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 21.8.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामहेत मु. नं. 79/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांकः 27.5.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बहरावण्डा ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में ग्राम गढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 0.25 है. पर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुणा शास्ति से दण्डित करने के आदेश दिनांक 21.8.2018 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त निर्णय दिनांक 21.8.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर कानून के सामान्य सिद्वान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। अपी[illegible] किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट [illegible] नहीं हुई है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया और न ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट एक्जिबिट ही हुई है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी हो[illegible] का कोई निर्णय व [illegible] होते हुये भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.06.07 18:09:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनन गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलांट को विधिक प्रक्रिया के अनुसार तामील ही नहीं हुई। नोटिस तामील पर अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है। तामील नहीं होने व सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से अपीलांट अपना जवाब व सबूत भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं कर सका। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 21.8.2018 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम गढ तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 0.25 है. भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का राणाली ने अपनी रिपोर्ट में कैफियत में पश्चावर्ती अतिक्रमी होने का अंकन किया है। अपीलांट द्वारा संवत 2074 में भी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की थी। अपीलांट रामहेत को बेदखल किये जाने की रिपोर्ट दिनांक 25.9.2018 व फसल नीलामी रिपोर्ट दिनांक 27.9.2018 अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 21.08.2018 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने व शास्ति आरोपित करने के साथ ही 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 79/2018 सरकार बनाम रामहेत निर्णय दिनांक 21.08.2018 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में रेस्पोडेन्ट रामहेत की तलबी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति पर रामहेत के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रतीत होता है कि नोटिस के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट रामहेत को जानकारी नहीं हुई और वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.08.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की स्थिति में पूर्व निर्णय/दस्तावेज को संलग्न करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट [illegible] शामिल रिकार्ड की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.06.07 18:09:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official